

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/ 638/ दिनांक:- 12.8.25

कार्यालय आदेश

सुश्री अनिषा मीना, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 03.06.2025 से 23.06.2025 तक (कुल 21 दिवस)

उक्त 21 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री अनिषा मीना, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/ 638/

दिनांक:- 12.8.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
3. सुश्री अनिषा मीना, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित/निजिपत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)